-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी क्षेत्र में चोरी की 02 घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। चोरी किया गया सोने का हार तथा चोरी किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रुपए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, टप्पेबाजी, नकबजनी के मामलों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा नरैनी क्षेत्र में चोरी की 02 घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा दिनांक 26.03.2025 को थाना नरैनी के ग्राम गढ़ा में घर में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। दिनांक 27.04.225 को नरैनी से अतर्रा की ओर जाते समय अज्ञात अभियुक्तों द्वारा महिला के बैग से सोने का हार चोरी कर लिया गया था। दोनों प्रकरणों में थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। जांच एवं विवेचना के क्रम में साक्ष्यों का संकलन करते हुए मुखबिर की सूचना पर दोनों घटनाओं में शामिल 02 अभियुक्तों मोहम्मद साजिद व मोहम्मद यासीन पनगरा नगर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस, चोरी किया गया सोने का हार तथा चोरी किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त 4050 रुपए बरामद किए गए हैं।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 03 जिन्दा कारतूस
- चोरी किया गया सोने का हार
- चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त 4050 रुपए।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहम्मद साजिद पुत्र साहिद हुसैन नि0 शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
2. मोहम्मद यासीन उर्फ गनिया पुत्र कलुवा नि0 शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अं0सं0 110/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 76/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2. कां0 सतीश यादव
3. कां0 अनिल अहिरवार